डाक गति द्वारा

No.14039/35/2014 - यू. टी. एस-II

गृह मंत्रालय, भारत सरकार

*****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली – 110 001.
दिनांक 20 मई, 2014.

विषय : श्री वेद पाल द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (I) के अंतर्गत मांगी गई सूचना।

उक्त विषय पर श्री वेद पाल, मकान नंबर 20/2, रेलवे रोड, समयपुर, दिल्ली - 110 0042 द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 06.05.2014 जो कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के यू. टी. एस-II विभाग में 19.05.2014 को प्राप्त हुई है। प्रेषक को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वांछित सूचना का जवाब भारत सरकार के गृह मंत्रालय के यू. टी. एस-II के पत्र दिनांक 25.04.2014 के तहत पहले ही दिया जा चुका है।

2. जैसा कि सूचित किया जा चुका है, प्रार्थी द्वारा दिनांक 03.02.2014 एवं 24.02.2014 को भेजे गये पत्र यू. टी. एस-I एवं यू. टी. एस-II अनुभागो मे प्राप्त नहीं हुए है। इस संदर्भ में प्रेषक को यह भी सूचित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा प्रेषित अपील तथा संयुक्त सचिव (यू. टी.) के व्यक्तिगत अनुभाग के अभिलेखों के गहन अध्ययन के उपरांत यह ज्ञात हुआ कि उक्त पावती दिनांक 06.05.2014 में प्रेषक ने जिस डायरी नंबर 233665 का वर्णन किया है वह डायरी नंबर भारत सरकार के गृह मंत्रालय की दिल्ली-II अनुभाग से संबन्धित है। अतः पावती की एक छायाप्रति उचित कार्यवाही हेतु भारत सरकार के गृह मंत्रालय की दिल्ली-II अनुभाग को भेजी जा रही है।

3. प्रेषक को इस संदर्भ में यह भी सूचित किया जाता है की सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह प्रावधान है कि अगर प्रार्थी दी गयी सूचना से संतुष्ट नही है तो वह प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पता निम्नलिखित है:

श्री आई. एस. चहल,
संयुक्त सचिव (यू. टी.),
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली – 110 001.

(अनुज शर्मा)
निदेशक एवं लोक प्राधिकारी
दू. स. 2309 2436

श्री वेद पाल,
मकान नंबर 20/2,
रेलवे रोड, समयपुर,
दिल्ली - 110 0042.

प्रतिलिपि (डाक गति द्वारा) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत:

1. अवर सचिव/लोक प्राधिकारी, दिल्ली-II अनुभाग, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली- 110 001: इस निवेदन के साथ कि पावती में अंकित प्रश्नो की सूचना सीधे प्रेषक को प्रदान करे। पावती उचित कार्यवाही हेतु संलग्न है।

2. मुख्य सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सूचना आयोग, अगस्त क्रांति भवन, भीकामाजी प्लेस, नई दिल्ली।

(अनुज शर्मा)
निदेशक एवं लोक प्राधिकारी
दू. स. 2309 2436

Issued with Enclosure
Date........ 22.5.14
Sign..........

S. No. 03 (R)

मुख्य सूचना आयुक्त
केन्द्रीय सूचना आयोग
अगस्त क्रान्ति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस
नई दिल्ली- 110066

दस्ती

दिनांक : 06 मई, 2014

गृह मंत्रालय, Ministry of Home Affairs, नई दिल्ली/New Delhi
15 MAY 2014
C.R. No. 279691

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(3) के तहत दूसरी अपील याचिका ।

महोदय,

1. दिनांक 24.2.14 को जन सूचना अधिकारी गृह मंत्रालय नई दिल्ली को तीन प्रश्नों के साथ व्यक्तिगत रूप से मैंने आवेदन किया था ।

2. कुल 38 दिनों तक पी.आई.ओ. द्वारा सूचना नहीं देने पर दिनांक 3.4.14 को मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रथम अपील मंत्रालय में जमा कराई थी ।

3. आज 34 दिनों बाद भी प्रथम अपील अधिकारी श्री आई.एस. पहल ने कोई भी सुनवाई/सूचना/आदेश नहीं दिया है ।

4. दिनांक 3.5.14 को सी.पी.आई.ओ श्री अनूप शर्मा नम्बर 14039/35/2014/यूटीएस 2 का एक पत्र (सूचना-जवाब नहीं है) मुझे प्राप्त हुआ जो कि पूरी तरह से आपत्तिजनक व मेरे लिए अमान्य है ।

(अपील)

(1) दिनांक 3.2.14 डायरी न. 233665 व दिनांक 24.2.14 पुनः रिमाइण्डर मैंने व्यक्तिगत रूप से केन्द्रीय रजिस्ट्री गृह मंत्रालय नई दिल्ली में भारत के गृह मंत्री को उपराज्यपाल दिल्ली की शिकायत की थी ।

(2) कोई भी कार्यवाई-जवाब नहीं मिलने पर 24.2.14 को आर.टी.आई. आवेदन (शिकायत पत्र 3.2.14 की प्रति संलग्न करके) किया गया था । पूरे 69 दिनों के बाद सी.पी.आई.ओ ने पत्र भेजा है कि शिकायत पत्र गायब है । महोदय देश के गृह मंत्री को उपराज्यपाल दिल्ली की कि गई शिकायत यदि गायब कर दी जाती है तो गृह मंत्रालय में क्या-क्या होता होगा, अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है ।

(3) सी.पी आई-ओ ने मेरा पता 30/2 लिख कर पत्र भेजा है, जबकि मेरा

7C

पता 20/2 है । मेरी डाक कर्मी से पहचान होने के कारण यह पत्र मुझे प्राप्त हो गया, अन्यथावापिस ही गलत पते के कारण से जाता । सम्बंधित अधिकारी व कर्मचारी सरकारी सेवा में रहने के अधिकारी नहीं है, ये 60 साल की उम्र तक सरकारी सिस्टम पर बोझ ही बने रहेंगे और योग्य इंसान सरकारी सेवा से इनके रहते बाहर रहेगा ।

(4) दिनांक 24.2.14 को व्यक्तिगत दस्ती रूप में मंत्रालय में दिया गया पत्र उसी बिल्डिंग में 33 दिनों के बाद 28.3.14 को सी.पी.आई.ओ. को प्राप्त हुआ, इससे बड़ी अराजकता-व्यवस्था और क्या हो सकती है ।

(5) प्रथम अपील अधिकारी श्री आई.एस. चहल अपील के 34 दिनों के बाद भी सुनवाई/ आदेश देने में पूरी तरह से असफल रहे है ।

अतः माननीय आयोग से आग्रह है कि (ए) सी.पी.आई.ओ. तथा प्रथम अपील अधिकारी के विरुद्ध आर.टी.आई. एक्ट 2005 की धारा 20(1) और 20(2) के तहत कानूनी कार्यवाई की जाए । (बी) धारा 19(8)(ख) के तहत संबंधित अधिकारी के वेतन से आवेदक को दस हजार रुपये की क्षतिपूर्ति कराई जाए । (सी) अविलम्ब सही सूचना निःशुल्क प्रदान की जाए ।

धन्यवाद ।

प्रार्थी

(वेदपाल)

मकान नं. 20/2 रेलवे रोड

समयपुर दिल्ली- 110042.

फोन : 9868457302

दिल्ली

06 मई, 2014

COPY FOR INFORMATION TO:

SHRI I.S. CHAHAL,
JOINT SECRETARY (UT)
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NORTH BLOCK, NEW DELHI-110001